

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवसं/19-20 3463

दिनांक :- 11/4/2019

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद।

विषय :- Diversion of 2.50ha of forest land for construction of road from Bhanwargarh road to Ranwasi under RRSMP in Raj .in Baran forest Division . (प्रकरण संख्या FP/RJ/Road/6988/2014)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्र क्रमांक 08-बी/राज/ 06/17/2015/एफ.सी./555 दिनांक 27.12.2018के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैदान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। स्वीकृति में अंकित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 17479 दिनांक 31.12.18 तथा पत्रांक 647 दिनांक 21.01.2019 से निवेदन किया गया था ताकि प्रकरण अंतिम स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया जा सके। किन्तु आपके द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट आज दिनांक तक प्रेषित नहीं की गई है।

अतः अब इस कार्यालय के पत्रांक 17479 दिनांक 31.12.18 तथा पत्रांक 647 दिनांक 21.01.2019 से जारी मांग पत्र में निम्न बिन्दुओं पर संशोधित नवीन पालना सहित सभी बिन्दुओं की पालना शीघ्र प्रस्तुत करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके

2. राज्य में वेज रेट परिवर्तन होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों में परिवर्तन हुआ है। अतः अब शर्त संख्या 2 में 2.5 है0 क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रुपये 1,64,100/- प्रति है0 की दर से रुपये 4,10,250/- केम्पा नई दिल्ली में आनलाइन जमा करा रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे।

8. भारत सरकार द्वारा जारी सैदान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)

उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवसं/19-20/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बारां
4. सहायक वन संरक्षक बारां/ क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगंज को प्रेषित कर लेख है कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित करे।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)

उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवसं/18-19 657
निमित्त:-

दिनांक :- 21/11/19

✓ अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद।

विषय :- Diversion of 2.50ha of forest land for construction of road from Bhanwargarh road to Ranwasi under RRSMP in Raj. in Baran forest Division. (प्रकरण संख्या FP/RJ/Road/6988/2014)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्र क्रमांक 08-बी/राज/06/17/2015/एफ.सी./555 दिनांक 27.12.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अंकित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित करें। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 17479 दिनांक 31.12.2018 से चाही गई पालना रिपोर्ट की शर्त संख्या (3)(क) में आंशिक संशोधन निम्नानुसार है।

शर्त संख्या (3)(क) के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रु. (2.50 ha x Rs 6.26 Lac Per ha.) की दर से राशि रुपये 1565000/- लाख केम्पा नई दिल्ली में जमा करावे।

भवदीय

(राजीव कपूर)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवसं/16-17/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

T.A.
upload on web site
11/19



(राजीव कपूर)
उप वन संरक्षक
बारां